



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2013—कार्तिक 24, शक 1935

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्र. ई-5-924-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन  
एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व  
मिलता था।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी  
रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन सहायक कलेक्टर, मण्डला  
के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन  
एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व  
मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर  
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2013

क्र. ई-5-689-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री उमाकांत  
उमराव, आयएएस., आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा  
आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं,  
मध्यप्रदेश को दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2013 तक सात दिन का  
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री उमाकांत उमराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विश्वमोहन उपाध्याय, भाप्रसे, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री उमाकांत उमराव द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

क्र. ई-5-464-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री जयदीप गोविंद, आयएएस., मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री जयदीप गोविंद की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, भाप्रसे, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव, विधि और और विधायी कार्य (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप गोविंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जयदीप गोविंद द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप गोविंद को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप गोविंद, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-687-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री नीतेश व्यास, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-764-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री विवेक कुमार पोरवाल, आयएएस., कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 7 जनवरी 2014 तक सोलह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री विवेक कुमार पोरवाल की अवकाश अवधि में श्री एन. एस. भटनागर, भाप्रसे, अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला जबलपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विवेक कुमार पोरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. एस. भटनागर कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्र. ई-5-529-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय तिर्की, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग को दिनांक 24 दिसम्बर 2013 से दिनांक 4 जनवरी 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अजय तिर्की की अवकाश अवधि में चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार श्री प्रवीर कृष्ण, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भोपाल गैस ट्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा आयुष विभाग को एवं श्रम विभाग का प्रभार श्रीमती अंजिता बाजपेई पाण्डे, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय तिर्की को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजय तिर्की द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रवीर कृष्ण चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं श्रीमती अंजिता बाजपेई पाण्डे श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजय तिर्की को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय तिर्की, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-650-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरिरंजन राव, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन विभाग को दिनांक 8 से 11 अक्टूबर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योन्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री हरिरंजन राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरिरंजन राव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., तत्का. संचालक, कौशल विकास, जबलपुर को दिनांक 27 सितम्बर 2013 से 25 मार्च 2014 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) विभागीय आदेश क्रमांक ई. 1-308-2013-5-1, दिनांक 4 अक्टूबर 2013 द्वारा श्री रघुराज एम. आर. भाप्रसे-2004 को संचालक, कौशल विकास, जबलपुर के पद पर पदस्थ किया गया था तथा श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की पदस्थापना अवकाश से लौटने पर पृथक की किये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये थे।

श्री रघुराज एम. आर. द्वारा संचालक, कौशल विकास, जबलपुर के पद पर दिनांक 11 अक्टूबर 2013 को कार्यभार ग्रहण किया गया था। अतः श्रीमती जी. व्ही. रश्मि का वेतन दिनांक 11 अक्टूबर 2013 से लीव रिजर्व पद के विरुद्ध आहरित होगा।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्र. ई-5-475-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रजनीश वैश्य, आयएएस., विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग (अति. प्र.) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि (एनबीपीसीएल) को दिनांक 5 से 15 नवम्बर 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3, 4 एवं 16, 17 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश्य को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन विकअ-सह-सदस्य (पुनर्वास) नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग (अति. प्र.) तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कं. लि (एनबीपीसीएल) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश्य, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अँन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-ए-5-11-2013-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री सुभाष काकडे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	30 जुलाई 2013 से 02 अगस्त 2013 तक.	4 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 अगस्त 2013 से 04 अगस्त 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

क्र. एफ-ए-5-5-2012-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री तरुण कुमार कौशल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	17 अक्टूबर 2013 से 01 नवम्बर 2013 तक.	16 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 अक्टूबर 2013 से 16 अक्टूबर 2013 तक सार्वजनिक अवकाश एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 नवम्बर 2013 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-ए-5-20-2012-एक (1)-संशोधित.—समसंख्यक विभागीय अधिसूचना दिनांक 26 सितम्बर 2013 में उल्लेखित “माननीय न्यायाधिपति श्री रोहित आर्य” को “माननीय न्यायाधिपति श्री रोहित आर्य” पढ़ा जावे।

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-ए-5-16-2012-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दि. 27 सितम्बर 2013 से 04 अक्टूबर 2013 तक.	08 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2013

क्र. ई-5-802-आयएएस-लीब-5-एक.-संशोधन—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2013 द्वारा श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल को दिनांक 18 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2013 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 16, 17 नवम्बर 2013 एवं 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया है।

(2) उक्त आदेश की कंडिका-2 में उल्लेखित “परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन विकास, भोपाल” के स्थान पर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा संचालक, एइस पढ़ा जाये।

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2013

क्र. ई-5-674-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 अगस्त 2013 द्वारा दिनांक 26 अगस्त से 3 सितम्बर 2013 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था।

(2) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा अवकाश समाप्ति के पूर्व दिनांक 3 सितम्बर 2013 को कर्तव्य पर उपस्थित होने के फलस्वरूप दिनांक 3 सितम्बर 2013 (एक दिन) का अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

क्र. ई-5-689-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री उमाकांत उमराव, आयएएस., आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2013 द्वारा दिनांक 24 से 30 अक्टूबर 2013 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विद्या भोंसले, अवर सचिव “कार्मिक”.

## आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

क्र. एफ 23-24-2013-3-पचीस.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ-23-6-2004-5-25, दिनांक 22 जून 2010 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत श्री शिवराज शाह “शिव भैया” मण्डला को मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात् मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदेश क्र. एफ 23-24-2013-3-25, दिनांक 26 जुलाई 2013 के द्वारा श्री शिवराज शाह “शिव भैया” के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गयी थी। श्री शिवराज शाह “शिव भैया” द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2013 को पद त्यागने की सूचना दी है।

(2) अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री शिवराज शाह “शिव भैया” मण्डला द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य का पद त्यागने की सूचना स्वीकार की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव।

## गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1 (ए) 27-94-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 28 अक्टूबर 2013 द्वारा श्री आलोक रंजन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा एवं समन्वय, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 21 सितम्बर 2013 से 01 अक्टूबर 2013 तक कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था।

(2) श्री आलोक रंजन, भापुसे, द्वारा उक्त अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

क्र. एफ-1 (ए) 90-2008-ब-2-दो.—श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, सेनानी, 24 वीं वाहिनी, विशेष सशस्त्र बल, जावरा, रतलाम को दिनांक 25 से 29 अप्रैल 2013 तक कुल 05 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एक दिवस में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 10 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

क्र. एफ 1 (ए) 199-1991-ब-2-दो.—श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक 09 दिवस अर्जित अवकाश, 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री अरूण प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर.एन.डी. एवं पुलिस मैन्युअल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटाने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर

कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा। जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. स्वार्ड, प्रमुख सचिव।

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2013

क्र. एफ 2-2-2004-एसएण्डटी-41.—राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं, का त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. एस. खैरवार, उपसचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2013

फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-4117-इक्कीस-ब (एक)-13.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब (1), दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 64 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"64	श्री अयाज मोहम्मद खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर।	सीहोर	सीहोर	सीहोर	सीहोर

F. No. 17(E)43-2009-4117-XXI-B(1)/13,—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17(E)43/2009/2251/XXI-B(I), dated 10<sup>th</sup> May, 2013, Namely :—

### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 64 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

### TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“64	Shri Ayaz Mohd. Khan, III Additional Judge to Ist Civil Judge-I, Sehore.	Sehore	Sehore	Sehore	Sehore

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

### विभाग प्रमुखों के आदेश

#### मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश) — 462011

#### आदेश

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-115-10-तीन-1230.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकारी ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकारी द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”,

दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री कल्लू खां अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी, 2010, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./10 दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री कल्लू खां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री कल्लू खां को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई, 2010 जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि

15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

**श्री कल्लू खां** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 8 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

**अतः** आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

**अतः** मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री कल्लू खां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-115-10-तीन-1231.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष

का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

**माह दिसम्बर, 2009** में सम्पन्न हुए नगर परिषद, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री सियाराम लोधी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी, 2010, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./10 दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सियाराम लोधी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सियाराम लोधी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई, 2010 जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जबाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

**श्री सियाराम लोधी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 8 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

**अतः** आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 5 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सियाराम लोधी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-115-10-तीन-1232.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री अनवर खां गददी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात्

16 जनवरी, 2010, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./10 दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अनवर खां गददी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अनवर खां गददी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई, 2010 जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री अनवर खां गददी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 26 मई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 10 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अनवर खां गददी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार  
हस्ता./-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

## आदेश

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-115-10-तीन-1233.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके परिणाम की घोषणा की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

**माह दिसम्बर, 2009** में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन में श्री मोतीलाल धाकड़ अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर परिषद्, लटेरी, जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी, 2010, किन्तु 16 जनवरी एवं 17 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565/स्था. नि./10 दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मोतीलाल धाकड़ द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मोतीलाल धाकड़ को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 5 मई, 2010 जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री मोतीलाल धाकड़ को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 24 मई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 08 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 07 अगस्त, 2010 के संलग्न पूरक परिशिष्ट छत्तीस में लेख किया कि श्री मोतीलाल धाकड़ द्वारा दिनांक 7 जुलाई 2010 को अर्थात् एक सौ उन्हतर (169) दिन विलंब से दाखिल किए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 29 जून 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी के द्वारा व्यय लेखा के संबंध में किसी प्रकार का आवेदन या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः आयोग द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर विदिशा द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मोतीलाल धाकड़ को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् लटेरी जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार  
हस्ता।/-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

## आदेश

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-237-10-तीन-1235.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश

नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में श्री बकील उर्फ राजा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी, 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. निर्वा./11 दिनांक 7 जनवरी 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री बकील उर्फ राजा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करते हुए दिनांक 10 फरवरी 2010 अर्थात् सत्ताईस दिन विलंब से लेखा दाखिल किया गया।

सत्ताईस दिन विलंब से निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री बकील उर्फ राजा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी 2011 जारी किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री बकील उर्फ राजा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 02 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 17 सितम्बर, 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 6 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है। अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर मानीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री बकील उर्फ राजा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार<sup>हस्ता/-</sup>

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-237-10-तीन-1236.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में श्री श्रवण कुमार डेहरिया अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से

30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी, 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. निर्वा./11 दिनांक 7 जनवरी, 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री श्रवण कुमार डहेरिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करते हुए दिनांक 25 जनवरी 2010 अर्थात् ग्यारह दिन विलंब से लेखा दाखिल किया गया।

ग्यारह दिन विलंब से निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री श्रवण कुमार डहेरिया को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2011 जारी किया गया। कारण बताओं सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओं सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री श्रवण कुमार डहेरिया को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 02 सितम्बर, 2011 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 17 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है। अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2013 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के पक्ष में समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबच्चों के अन्तर्गत श्री श्रवण कुमार डहेरिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निर्धारित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार

हस्ता.-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

## आदेश

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-237-10-तीन-1237.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में पंडित निरंजन मिश्रा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी, 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. नि./11 दिनांक 7 जनवरी, 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार पंडित निरंजन मिश्रा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंडित निरंजन मिश्रा को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2011 जारी किया गया। कारण बताओं सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओं सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

पंडित निरंजन मिश्रा को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 30 अगस्त 2011 को तामील कराया गया। अतः उनको

दिनांक 14 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है। अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को कराई गई, अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित हुए। उन्होंने एक शापथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री संजय भारद्वाज को अपना तथा अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन देने के कारण चुनाव में चुनाव संबंधी कोई व्यय नहीं किया जाना एवं व्यय का लेखा जोखा तैयार नहीं किया जाना अंकित किया।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं (पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज) प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत पंडित निरंजन मिश्रा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निराहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार<sup>हस्ता-/</sup>

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ. 67-237-10-तीन-1238.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन में श्री सुनील पप्पू पाण्डे अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिका परिषद, सिवनी, जिला सिवनी के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी, 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी के पत्र क्र. 4/स्था. निर्वा./11 दिनांक 7 जनवरी, 2011 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सुनील पप्पू पाण्डे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सुनील पप्पू पाण्डे को कारण बताओं सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री सुनील पप्पू पाण्डे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30 अगस्त 2011 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 14 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर सिवनी ने अपने पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2013 में लेख किया कि अभ्यर्थी से जवाब अप्राप्त है। अतः आयोग द्वारा दिनांक 07 सितम्बर 2013 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को कराई गई, अभ्यर्थी में उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुनील पप्पू पाण्डे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद सिवनी जिला सिवनी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार  
हस्ता/-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन, अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्र. 6726-2927-अका-विप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12-08-2013 को प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना-पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम (1)	पदनाम (2)	पदनाम (3)
-----------------	---------------------------	--------------	--------------

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री स्वरोचिष सोमवंशी	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
2	श्री पंकज जैन	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
3	श्री अजय कटेसरिया	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
4	श्री राजीव रंजन मीना	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
5	श्री दीपक आर्य	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
6	श्री अनुराग वर्मा	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
7	श्री नीरज कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
8	श्रीमती सुरभि सिन्हा	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
19	कु. प्रतिभा पाल	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
10	श्री फटिंग राहुल हरिदास	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
11	श्री बक्की कार्तिकेयन	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
12	श्री रोहित सिंह	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
13	श्रीमती निधि निवेदिता	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
14	श्री चन्द्र मोहन ठाकुर	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
15	श्री प्रवीण सिंह ढायच	सहायक कलेक्टर (संत्रेय)
16	कु. संगीता मेहता	नायब तहसीलदार
17	श्री संदीप श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार

18	श्री आर. के. यादव	राजस्व निरीक्षक
19	श्री अनिल गव्हाडे	राजस्व निरीक्षक
20	श्री घनश्याम प्रसाद साहू	राजस्व निरीक्षक
21	श्री अताउल्ला खान	राजस्व निरीक्षक
22	श्री सत्यनारायण मालवीय	राजस्व निरीक्षक
23	श्री मुकेश सिंह	राजस्व निरीक्षक
24	श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी	राजस्व निरीक्षक
25	श्री सुशील सिंह	राजस्व निरीक्षक

इंदौर संभाग

26	श्रीमती किरण गेहलोत	नायब तहसीलदार
27	सुश्री सविता चौहान	नायब तहसीलदार
होशंगाबाद संभाग		
28	श्री रमेश कुमार घुरेले	पटवारी
29	कु. शैली धुर्वे	पटवारी
30	श्री गुलाब चन्द्र उड़िके	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

31	श्री कुंवरलाल राउत	राजस्व निरीक्षक
32	श्री हीरालाल धुर्वे	राजस्व निरीक्षक

निमस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री राकेश सिंह जाटव	राजस्व निरीक्षक
2	श्री निलेश सरवटे	राजस्व निरीक्षक
3	श्री राजेन्द्र जैन	राजस्व निरीक्षक
4	श्री मो. अनीस कुरैशी	राजस्व निरीक्षक
5	श्री हसन उद्दीन खिलजी	राजस्व निरीक्षक
6	श्री मुमताज अली	राजस्व निरीक्षक
7	श्री विनोद पाठक	राजस्व निरीक्षक
8	श्री सत्येन्द्र चतुर्वेदी	राजस्व निरीक्षक
9	श्री रमेश प्रसाद रघुवंशी	राजस्व निरीक्षक

इंदौर संभाग

10	श्री राजेश जोशी	राजस्व निरीक्षक
11	श्री पंकज यादव	राजस्व निरीक्षक
12	श्री शेखर बापट	राजस्व निरीक्षक
13	श्री अनिल मेहता	राजस्व निरीक्षक
14	श्री विक्टर राडिक्स	राजस्व निरीक्षक
15	श्री लखन लाल सोनी	राजस्व निरीक्षक
16	श्री शंकरलाल जोशी	राजस्व निरीक्षक
17	श्री दक्षेश कांटावाला	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

18	श्री बृजकिशोर पाठक	राजस्व निरीक्षक
29	श्री प्रमोद कुमार पुष्पथ	राजस्व निरीक्षक

20	श्री कृष्ण कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक
21	श्री भरत पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

**उज्जैन संभाग**

20	श्री बसंतिलाल डाढ़ी	राजस्व निरीक्षक
23	श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर	राजस्व निरीक्षक

**शहडोल संभाग**

24	श्री सोनेसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक
----	----------------------	-----------------

**रीवा संभाग**

25	श्री बैद्यनाथ प्रशाद पाठक	राजस्व निरीक्षक
26	श्री कन्हैया लाल मिश्र	राजस्व निरीक्षक
27	श्री यादवेन्द्र मणि त्रिपाठी	राजस्व निरीक्षक
28	श्री लाल बहादुर सिंह	राजस्व निरीक्षक
29	श्री पनालाल रावत	राजस्व निरीक्षक

**होशंगाबाद संभाग**

30	श्री विजयसिंह बेलवंशी	राजस्व निरीक्षक
31	श्री एम. एस. गहलोद	राजस्व निरीक्षक
32	श्री भरत अहिरवार	पटवारी
33	श्री अनिल कुमार सेठ	पटवारी
34	श्री मिट्टूलाल पंवार	राजस्व निरीक्षक
35	श्री प्रेमचन्द नागवंशी	राजस्व निरीक्षक
36	सुश्री हरिता सिंधु ललोरिया	पटवारी
37	श्री दिनेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक
38	श्री सन्तोष कुमार परते	पटवारी
39	श्री कन्हैया लाल व्यास	पटवारी
40	श्री मोहन बाबू साहू	राजस्व निरीक्षक
41	श्री सतीश कुमार चौहान	राजस्व निरीक्षक
42	श्री टोपसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
43	श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक

**जबलपुर संभाग**

44	श्री देवलाल नेताम	राजस्व निरीक्षक
45	श्री मुनालाल तिवारी	राजस्व निरीक्षक
46	श्री विवेक मुले	राजस्व निरीक्षक
47	श्री के. सी. अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
48	श्री संतोष कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
49	श्री आशनारायण सिंह	राजस्व निरीक्षक
50	श्री राजेन्द्र प्रसाद खम्परिया	राजस्व निरीक्षक
51	श्री अनिल सिंह	राजस्व निरीक्षक
52	श्री देवशरण सिंह नेताम	राजस्व निरीक्षक
53	श्री राजीव कुमार नेमा	राजस्व निरीक्षक
54	श्री धनेश्वर प्रसाद श्रीवास	राजस्व निरीक्षक
55	श्री शनिलाल सिरसाम	राजस्व निरीक्षक
56	श्री वीरभद्र शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
57	श्री मनीष कुमार तिवारी	राजस्व निरीक्षक

58	श्री गिरीश धुलेकर	राजस्व निरीक्षक
59	श्री रिपुदमन सिंग	राजस्व निरीक्षक

**ग्वालियर संभाग**

60	श्रीमती वंदना बघेल	नायब तहसीलदार
61	श्री कैलाश नारायण साहू	राजस्व निरीक्षक
62	श्री कल्याण सिंह जाटव	राजस्व निरीक्षक
63	श्री राकेश कुमार निगम	राजस्व निरीक्षक
64	श्री शिव नारायण दुबे	राजस्व निरीक्षक
65	श्री वीरसिंह कौरव	राजस्व निरीक्षक
66	श्री जाहर सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
67	श्री ओम प्रकाश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
68	श्री श्याम सुन्दर सिंह सराहिया	राजस्व निरीक्षक

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2013

क्र. 7520-अका-विप्र-2013-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2013 को प्रश्नपत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 6985/2920/अका/विप्र/2013, दिनांक 09-10-2013 को जारी की गई थी, में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री सै. परवेज अली, राजस्व निरीक्षक अंकित है को अब ग्वालियर संभाग के स्थान पर भोपाल संभाग से सम्मिलित पढ़ा जाए.

(2) राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-तृतीय (राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 6728-2985-अका-विप्र-2013, दिनांक 03-09-2013 को जारी की गई थी, में ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री निर्मल सिंह राजपूत, राजस्व निरीक्षक अंकित है के स्थान पर अब श्री निर्भय सिंह राजपूत, राजस्व निरीक्षक पढ़ा जाए.

(3) राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2013 को सम्पन्न प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय, जो दिनांक 5-8-2013 सम्पन्न हुआ था, में इंदौर संभाग में निम्नस्तर से उत्तीर्ण परीक्षार्थी श्रीमती मीना मण्डलोई, सहायक प्रयोजन प्रशासक, अंकित है के स्थान पर अब उन्हें उच्चस्तर से उत्तीर्ण माना जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

**कार्यालय, कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर**

राजभवन भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ-1-4-13-रा.स.-यू.ए.1-1478.—नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत गठित सर्व कमेटी द्वारा की गई अनुशंसाएं दिनांक 22 अक्टूबर 2013 पर विचारोपांत उनसे असहमत होते हुए मैं उन्हें अस्वीकार करता हूँ.

इस प्रयोजनार्थ पुनः सर्व कमेटी के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जावे.

**राम नरेश यादव, कुलाधिपति,**

**विभाग प्रमुखों के आदेश**  
**कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश**

क्र. 2904-भू-अर्जन-C-2013

सिंगरौली, दिनांक 1 नवम्बर 2013

**करारनामा**

कर्नल (से.नि.) पी.सी. मल्होत्रा पिता स्व. श्री हरनाम सिंह मल्होत्रा उम्र 53 वर्ष, प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटार्नी जयप्रकाश पॉवर वेचर्स लिमिटेड (1320 मेगावाट जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, निगरी), पंजीकृत कार्यालय, जे.यू.आई.टी. काम्पलेक्स वाक्नाघाट, पी.ओ. धूमेहरबानी, कन्धाघाट, 173215, जिला-सोलन (हिमाचल प्रदेश), के निमित्त बैराज निर्माण से डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-कट्टई की 17.22 हेक्टर निजी भूमि के अर्जन बावत्.

**प्रथम पक्ष****मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली****द्वितीय पक्ष**

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 12-08-2011-सात-2-ए, भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012 के अनुसार ग्राम निगरी तहसील देवसर जिला सिंगरौली में सुपर थर्मल पॉवर प्लांट (1320 मेगावाट) की स्थापना के निमित्त बैराज निर्माण से डूब प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 25 अक्टूबर 2013 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित करते हैं :—

1. उक्त संकर्म के लिये कुल 17.22 हेक्टर निजी भूमि के अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ रुपये 3,63,98,775/- कंपनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है। शेष राशि अवार्ड पारित करने के पहले जमा करनी होगी।
2. कम्पनी द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 1171/भू-अर्जन/2012, सिंगरौली, दिनांक 13 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रशासकीय व्यय की अनुमानित राशि की 10 प्रतिशत राशि प्रशासकीय व्यय बतौर कुल राशि रुपये 3896025/- (अड़तीस लाख छियान्वे हजार पच्चीस रुपये मात्र) अग्रिम शासकीय कोष में अपर कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली के नाम जमा की जा चुकी है।
3. अर्जित की गई उक्त निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्वतन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
4. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
5. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा।
6. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है उन कृषकों के परिवार के एक सदस्य को कम्पनी में “आदर्श पुनर्वास” नीति 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये कम्पनी वचनबद्ध होगी।
7. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु परियोजना के निर्माण के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋणदाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता पूर्व अनुमति के पश्चात होगी।
8. यदि कम्पनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को कम्पनी विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।

9. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायलटी का भुगतान करना होगा।
10. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
11. पर्यावरण की दृष्टि से पर्यास आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा।
12. प्रदूषण नहीं किया जावेगा। इस संबंध में संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जलस्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जायेगा।
13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियाँ अनुमोदन एवं अनापत्तियाँ संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा।
14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा।
15. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।
16. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी।
17. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
18. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रथम पक्ष पूर्व से गठित “जयप्रकाश सेवा संस्थान” जो कि ट्रस्ट के रूप में गठित है के माध्यम से कलेक्टर से चर्चा कर कार्यवाही करेगा।
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जाएगा।
20. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बावृत् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।
21. निजी भूमि अर्जन हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्रफल में स्थित जो वृक्ष लगे हुये हैं जिन्हें काटने के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन करना होगा साथ ही मूल्यांकन के समय दुगने पेड़ वन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के माध्यम से रोपण करना होगा तथा जिसकी कार्योजना बनाकर क्रियान्वयन कंपनी द्वारा किया जाएगा। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाएं जाएंगे।
22. यदि किसी भूमि स्वामी के खाते/खसरा नम्बर की भूमि का 75 प्रतिशत से अधिक रकबा भू-अर्जन के लिये प्रस्तावित किया गया है, व शेष रकबा जो कि उक्त कृषक के लिये अनुपयोगी हो गया है तथा कृषक भू-अर्जन के लिये सहमत है तो कम्पनी के द्वारा धारा 6 के समय शेष रकबे का भी भू-अर्जन करना होगा।
23. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा।

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 25 अक्टूबर 2013 को जे पी पॉवर वेंचर्स लिमिटेड, निगरी जिला सिंगरौली की तरफ से कर्नल (से.नि.) पी.सी. मल्होत्रा प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटर्नी जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

## FOR-JAIPRAKASH POWER VENTURES LTD

### AUTHORISED SIGNATORY & ATTORNEY

हस्ता./-

कर्नल (से.नि.) पी सी मल्होत्रा  
वरिष्ठ महाप्रबंधक (समन्वय)  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी एवं एटर्नी  
जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड.

हस्ता./-

(एम. सेलवेन्द्रन )  
कलेक्टर,  
जिला सिंगरौली, (मध्यप्रदेश).

## राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2013

क्र. ई-1-26-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012-एआईएस (I)-बी, दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्तति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक (3) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से भाप्रसे संवर्ग के उसी पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री पन्नालाल सोलंकी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा
2	श्री शिवनारायण सिंह चौहान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल
3	श्री राजाभैया प्रजापति	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग
4	श्री मधुकर अग्नेय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी
5	श्री प्रकाश चन्द जांगरे	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
6	श्री राजीव शर्मा	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
7	श्री मुकेश कुमार शुक्ला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर
8	श्री दुर्ग विजय सिंह	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
9	श्री शेखर वर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना

2. नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीगण, जो भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012-एआईएस (I)-बी, दिनांक 8 अक्टूबर 2013 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्तति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक (3) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की

तिथि तक, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-॥ में सम्मिलित खाना (4) में दर्शाये गए संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए उन्हीं पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्त दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा	संयुक्त परिवहन आयुक्त, ग्वालियर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
2	श्री नरेन्द्र सिंह परमार	उपायुक्त, (राजस्व) उज्जैन संभाग	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
3	श्री श्रीनिवास शर्मा	अपर कलेक्टर, ग्वालियर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4	श्रीमती अलका श्रीवास्तव	अपर कलेक्टर, उमरिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
5	श्रीमती अरुणा गुप्ता	अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
6	श्री अशोक कुमार वर्मा	अपर कलेक्टर, आगर-मालवा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
7	श्री राजेश कुमार जैन	संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
8	श्री रविन्द्र सिंह	अपर कलेक्टर, इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

3. नीचे तालिका के खाना (2) में उल्लिखित अधिकारीण, जो भारत सरकार कार्मिक, लोक शिक्षायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012-एआईएस(1)-बी, दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना क्रमांक (3) में दर्शाये पद पर पदस्थ हैं, को खाना क्रमांक (4) में दर्शाए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	भाप्रसे में नियुक्त दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री नरेश पाल कुमार	विशेष सहायक, मंत्री, ऊर्जा एवं खनिज साधन	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
2	श्री निसार अहमद	उप प्राचार्य, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, ग्वालियर	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री अशोक कुमार शर्मा	विशेष सहायक, मंत्री, राजस्व एवं पुनर्वास	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री अजय सिंह गंगवार	विशेष सहायक, पूर्व मुख्यमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

उपरोक्त तालिका 3 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा खाना क्रमांक-3 में धारित असंवर्गीय पदों को दिनांक 8 अक्टूबर 2013 से उक्त अधिकारियों द्वारा नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि तक के लिए भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची-॥ में सम्मिलित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अँटोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

### आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ 7-39-2001-बत्तीस-1.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अनिल फिरोजिया के द्वारा उपाध्यक्ष, उज्जैन विकास प्राधिकरण के पद से दिनांक 6 नवम्बर 2013 को प्रस्तुत त्याग-पत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 5 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 01-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	सुजानपुरा खास	5.500	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़.	राजनगर तालाब योजना के स्पिल चैनल निर्माण हेतु।

प्र. क्र. 7-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गयी अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	गैती	17.242	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बल्देवगढ़.	पथरगुवां तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
	551	2.267
	555	1.028
टीकमगढ़, दिनांक 5 नवम्बर 2013	690	0.069
	695	0.134
क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन आधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	750	0.050
अनुसूची	96	1.327
	97/1	0.090
	97/2	0.800
	449/1426	0.073
	714	0.316
	595	0.102
(1) भूमि का वर्णन—	100	0.350
	101	0.400
(क) जिला—टीकमगढ़	430	0.393
(ख) तहसील—बलदेवगढ़	431	0.040
(ग) नगर/ग्राम—012 राजनगर	432	0.158
(घ) लगभग क्षेत्रफल—78.967 हेक्टेयर	433	0.125
	434	0.024
खसरा	रकबा	
नम्बर	(हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
90/2	0.120	435 0.073
92/1	0.607	436 0.049
92/3	0.600	437 0.077
684	0.146	438 0.162
682	0.117	439 0.454
467	0.158	440 0.020
458	0.113	441 0.020
512	0.154	442 0.045
517	0.287	443 0.101
526	0.174	444 0.089
527	0.045	445 0.097
562	0.117	446 0.235
564	0.146	450 0.154
686	0.121	460 0.134
449	0.053	513 0.065
541	0.721	514 0.121
546	3.116	597 0.239
547	0.914	175/1 0.090
548	0.287	175/2 0.100
		150 0.005
		153/1 0.105

(1)	(2)	(1)	(2)
155/1	0.070	400	0.097
591/1	0.050	779	0.040
478/1	0.139	387	0.024
168/2	0.032	392	0.065
169/2	0.092	401	0.470
167/2	0.060	402	0.085
194/2	0.060	793	0.010
195/1	0.015	790	0.125
215/1	0.190	396	0.089
214/1	0.004	783	0.174
197	0.010	792	0.125
196/1	0.100	403	0.105
214/2	0.004	413	0.024
214/3	0.004	421	0.125
789	0.081	486	0.081
390	0.036	404	0.093
393	0.032	488	0.194
221	0.101	412	0.024
232	0.030	494	0.109
237	0.010	420	0.129
229	0.040	425	0.032
235	0.040	483	0.089
238	0.150	405	0.081
358/1	0.090	485	0.125
381	0.008	411	0.024
385	0.040	489	0.178
382	0.036	406	0.134
398	0.036	482	0.223
785	0.012	410	0.028
383	0.040	490	0.178
397	0.040	407	0.214
386	0.089	408	0.016
399	0.081	409	0.028
786	0.016	415	0.025
787	0.146	416	0.032
388	0.028	422	0.227
394	0.020	414	0.035
230	0.020	423	0.117
389	0.028	424	0.154
395	0.016	417	0.016
391	0.150	418	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
419	0.016	518	0.032
428	2.700	609	0.632
426	0.032	610	0.206
484	0.109	611	0.093
487	0.089	713	0.117
491	0.138	711	0.243
427	0.085	715	0.316
544	0.494	519	0.045
447	0.061	520	0.053
452	0.069	528	0.275
457	0.101	529	1.858
459	0.097	530	0.352
470	0.049	608	0.142
476	0.012	481	0.024
477	0.012	492	0.016
449/1425	0.057	493	0.093
455	0.198	495	0.551
465	0.146	496	0.129
515	0.202	505/1428	0.129
522	0.308	505/1427	0.125
524	0.206	505	0.450
710	0.271	506	0.603
712	0.129	507	0.069
456	0.093	508	0.409
451	0.065	509	0.142
448	0.061	510	0.028
461	0.061	617	0.045
462	0.061	622	0.040
466	0.125	533/1	0.202
468	0.045	535	0.821
472	0.040	1172/1	1.500
473	0.016	538	0.300
474	0.057	540/1	0.501
453	0.024	540/2	0.405
454	0.024	561	1.250
463	1.670	565	0.522
464	0.761	567	0.388
471	0.020	568	0.210
475	0.279	580	0.190
469	0.117	571	0.053
516	0.146	572	0.721

(1)	(2)	(1)	(2)
573	0.615	657	0.158
574	0.320	658	0.053
557	0.219	659	0.214
578	0.393	660	0.069
576	0.158	661	0.028
581	0.290	662	0.146
598/1	0.300	663	0.036
599/1	0.250	664	0.032
753/1437	0.166	665	0.053
603	0.170	666	0.243
605	0.310	667	0.223
613	0.065	668	0.004
615	0.053	448/1424	0.032
618	0.356	695/1431	0.125
620	0.093	703	0.062
626	0.073	702	0.057
627	0.020	673	0.125
628	0.049	674	0.014
629	0.077	669	0.166
630	0.093	670	0.097
633	0.308	671	0.020
616	0.121	672	0.040
619	0.478	675	0.219
648	0.020	676	0.182
650	0.008	677	0.093
651	0.227	678	0.247
636	0.360	679	0.024
637	0.028	680	0.016
638	0.049	681	0.287
634	0.012	683	0.194
635	0.061	687	0.109
639	0.049	689	0.109
640	0.049	685	0.178
645	0.304	688	0.053
646	0.040	691	0.065
655/1430	0.138	692	0.318
652	0.550	694	0.287
653	0.097	696	0.016
654	0.024	697	0.065
655	0.174	693	0.065
656	0.125	698	0.211

(1)	(2)	(1)	(2)
700	0.020	1241	0.288
716	0.020	1243	0.279
706	0.270	1244	0.359
707	0.030	1247	0.140
708	0.030	1247 अ	0.150
709	0.121	1246/1	0.466
788	0.069	1246/2	0.466
791	0.255	1246/3	0.468
784	0.138	1260	0.984
1119	0.130	1351/1	0.140
1122/1	0.405	1351/2	0.100
1128	0.227	1248	0.312
1129	0.101	1188	0.070
1136	0.112	157/1	0.010
1137	0.170	632	0.125
1138	0.347	641	0.028
1140	0.310	642	0.555
1170	0.507	643	0.117
1142	0.035	644	0.146
1149/1	0.040	647	3.411
1149/2	0.100	1259/1	0.275
1150/1	0.120	1259/2	0.607
1167	0.045	कुल योग : <u>78.967</u>	
1174	0.040		
1172/2	0.700	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—राजनगर तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु।	
1175	0.117	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।	
1176/1	0.138		
1239	0.109	क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
1238	0.032	अनुसूची	
1183	0.020	(1) भूमि का वर्णन—	
1177	0.360	(क) जिला—टीकमगढ़	
1180	0.229	(ख) तहसील—बल्देवगढ़	
1184	0.060		
1237	0.208		
1185	0.035		
1253 अ	0.120		
1253	0.692		
1250	0.190		
1255	0.769		
1258	0.312		
1258 अ	1.088		

(ग) नगर/ग्राम—0.57 सुजानपरा खास	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—51.869 हेक्टेयर	2133	0.206
खसरा	रकबा	2137
नम्बर	(हेक्टेयर में)	2138/1
(1)	(2)	2135
1972	0.212	2142
1974	0.090	2143
1990	0.110	2138/2/1
1988	0.200	2138/2/2
1985	0.042	2140
2075	0.032	2141
2157	0.545	2144
2097	0.140	2145
2094	0.030	2146
2102	0.090	2149
2093	0.040	2150
2109	0.824	2151
2127/1	0.106	2152
2128	0.011	2155
2110/2	0.073	2158
2112	0.120	2360
2124	1.155	2359
2113/4	0.042	2361
2124/2	0.840	2366/2
2127/2	0.270	2159
2114	0.363	2160
2115	0.310	2353
2117	0.599	2165
2118	0.624	2161
2119	0.065	2312
2120	0.162	2374
2121	0.125	2375
2123	0.551	2381
2125	0.174	2377
2126	0.551	2314
2129	0.967	2313
2156/1	0.898	2318
2131/2	0.344	2317
2130	0.433	2352
2132 अ	0.308	2354
		2355
		2356

(1)	(2)	(1)	(2)
2357	0.174	2410/2	0.100
2362	0.660	2396/1	0.194
2365	0.461	2398/1	0.129
2367	0.259	2415	0.122
2364	0.380	2382	0.688
2372	0.053	कुल योग : <u>51.869</u>	
2373	0.089	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—राजनगर तालाब के बांध, ढूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.	
2370	0.279	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
2366/1	0.809	क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
2369	0.478	अनुसूची	
2371	0.352	(1) भूमि का वर्णन—	
2376	0.028	(क) जिला—टीकमगढ़	
2378	0.089	(ख) तहसील—बल्देवगढ़	
2379	0.364	(ग) नगर/ग्राम—देवीनगर	
2380	0.120	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.950 हेक्टेयर.	
2416	0.010	खसरा रकबा	
2383	0.720	नम्बर (हेक्टेयर में)	
2388	0.514	(1) (2)	
2387	0.275	1/3 3.950	
2389	0.914	कुल योग : 3.950	
2386	0.781	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—राजनगर तालाब योजना के ढूब क्षेत्र निर्माण हेतु.	
2395	0.142	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
2393	0.138	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
2400	0.101	सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
2399	0.085		
2397	0.053		
2390	0.226		
2391	0.263		
2392	0.405		
2398/2	0.130		
2401	0.081		
2606	2.488		
2403	0.619		
2407	0.049		
2409/2	0.465		
2409/3	0.360		
2409/4	0.440		
2409/6	0.455		
2410/3	0.292		
2396/2	0.194		
2409/1	0.470		
2409/5	0.460		
2409/7	0.465		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 25 अक्टूबर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-669.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी	1988	0.01
(ख) तहसील—पिछोर	2014	0.08
(ग) नगर/ग्राम—तिंधारी	2021	0.09
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.95 हेक्टर.	2049	0.21

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	

198	0.07	2061	0.11
199	0.07	2063	0.12
200	0.04	2068	0.19
201/2	0.02	2069	0.17
202	0.04		

योग . . 3.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—महुआर मध्यम परियोजना मुख्य नहर की उपशाखा क्र. 8 निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (स्लान) का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील पिछोर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 26 अक्टूबर 2013

क्र. 7424-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के

213	0.04
214	0.10
215	0.09
218	0.05
219	0.06
220	0.05
221	0.04

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—उज्जैन
- (ग) ग्राम—ग्राम सांवराखेडी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.400 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)	(1)	(2)
155/1				176/1/2/2/2	0.090
163/1/1	0.420			178/1/7	
162/2/1				120/1	0.180
172/2/1				120/2	0.210
163/1/2				120/3मी.	0.160
155/2	0.200			120/4मी.	0.030
162/1/1				119/2	0.080
172/2/2				190/1/4	0.100
164	0.010			190/1/5	0.060
161/1/1				190/2	0.120
161/2/1				193	0.180
161/2/2					योग . . 4.400
163/2/1	0.200				
166/1/1					
167/2/1/1					
166/2/1/1					
161/1/1					
161/2/1					
161/2/2					
163/2/1	0.200				
166/1/1					
167/2/1/1					
166/2/1/1					
161/1/1					
161/2/1					
161/2/2					
163/2/1	0.200				
166/1/1					
167/2/1/1					
166/2/1/1					
167/2/2	0.030				
168	0.630				
121/4/1	0.200				
119/1	0.080				

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु सांवराखेडी तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.

(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 7425—भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
- (ख) तहसील—उज्जैन

- (ग) ग्राम—ग्राम नानाखेडा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.430 हेक्टर.

6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अनुसूची		
(1)	(2)	(1) भूमि का वर्णन—		
80/5 मी.1	0.300	(क) जिला—सिवनी		
80/5 मी.2	0.259	(ख) तहसील—बरघाट		
80/5 मी.3	0.020	(ग) ग्राम—जेवनारा		
80/5 मी.4	0.091	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.26 हेक्टर.		
80/5 मी.6	0.090	खसरा क्र.	अर्जित रकबा	प्राप्त किये जाने वाले
81/2/5	0.085	अशासकीय	(हेक्टर में)	भू-खण्ड में स्थित वृक्ष,
81/2/4	0.135			मकान, कुंआ, तालाब
81/2/3	0.080			एवं अन्य विवरण
81/2/1/1 मी.10	0.050	(1)	(2)	(3)
81/2/1/1 मी. 9	0.017	481	0.110	2 कसई, 1 आंजन,
81/1/1 मी. 8	0.150	478/3	0.050	2 बेर 1 पलाश.
81/2/1		478/6	0.020	3 पलाश, 1 कसई, 2 बेर
81/2/1/3	0.058	478/7	0.120	3 पलाश, 1 बेर, 1 जामुन,
81/2/1/2	0.095	502	0.020	1 कसई.
योग . .	<u>1.430</u>			4 पलाश, 1 जामुन, 1 कसई
				2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई,
				1 महुआ.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उज्जैन सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु नानाखेडा तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन के अंतर्गत आवश्यक निजी भूमि का अधिग्रहण बाबत्.	501	0.010	1 पलाश, 1 बेर	
(3) भूमि अर्जन का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.	479	0.060	2 पलाश, 2 बेर, 2 कुंआ	
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	500	0.050	1 बेर, 1 जामुन, 1 आम	
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	498/1	0.030	2 पलाश, 1 बेर, 1 जामुन	
सिवनी, दिनांक 30 अक्टूबर 2013	498/2	0.030	2 बेर, 2 पलाश, 1 नीम	
क्र. 7771-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा	498/3	0.030	1 पलाश, 1 बेर, 1 जामुन, 1 कुंआ.	
	498/4	0.030	1 पलाश, 1 बेर, 1 कुंआ	
	497/2	0.020	1 पलाश, 1 बेर, 1 आम	
	495	0.040	3 पलाश, 1 बेर, 1 आम	
	496	0.020	1 पलाश, 1 जामुन, 1 कसई.	
	493	0.090	4 पलाश, 1 जामुन, 1 नीम, 1 बेर.	
	492	0.050	1 जामुन, 1 महुआ, 1 आम.	
	631/631/2	0.100	3 पलाश, 2 बेर,	
	631/3, 631/5		3 कसई, 1 जामुन.	
	631/1	0.040	2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई,	
	632/4	0.110	4 बेर, 3 कीन्ही, 32 पलाश.	
	630/1	0.040	1 नीम, 1 महुआ, 1 पलाश.	
	630/2	0.040	2 बेर, 1 पलाश, 1 कसई	
	621	0.090	2 कसई, 2 पलाश, 1 बेर.	

(1)	(2)	(3)
622/1	0.040	1 बेर, 2 पलाश
622/2		
619	0.040	3 पलाश, 1 महुआ, 3 सागौन.
620	0.050	2 पलाश, 1 नीम
614/1	0.040	2 पलाश
609/1	0.420	2 पलाश, 1 नीम, 1 इमली
610/1	0.040	2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई
592	0.120	6 पलाश, 1 नीम, 1 कसई
322	0.020	3 पलाश, 2 कौआ, 1 नीम
590	0.110	2 बेर, 3 पलाश
588/1	0.040	2 पलाश, 1 कसई, 1 चिचवा
580/1	0.160	2 आम, 1 कीन्ही, 1 चिचवा 2 बेर, 1 सालयी, 1 नीबू. 1 जामुन, 1 बिही, 3 बबूल.
580/2	0.010	1 पलाश, 1 कसई
323	0.030	1 आम, 2 पलाश, 1 बेर
324/1	0.140	3 पलाश, 2 बेर, 1 कसई
324/2	0.080	2 पलाश, 2 बेर, 2 कसई
328/7	0.210	2 कीन्ही, 1 कसई, 1 जामुन
333	0.110	3 पलाश, 1 कीन्ही, 2 नीम, 1 आम.
158	0.150	2 कीन्ही, 2 पलाश, 1 सागौन
497/1	0.020	2 पलाश, 1 बेर
610/2		432/2
610/3		432/1
610/4		504/3
610/5		433
588/2	0.020	1 पलाश, 1 बेर
614/4	0.050	3 पलाश, 2 बेर 2 कीन्ही
614/5	0.050	2 पलाश, 2 बेर 1 कीन्ही
614/6	0.050	3 पलाश, 1 कसई, 1 बेर, 1 नीम.
614/7	0.050	4 पलाश, 1 कसई, 2 बेर, 1 कीन्ही.
508	0.010	2 आम, 2 पलाश
<u>योग . . 3.260</u>		423/1

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—काचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 7771-कलेक्टर-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—बरघाट

(ग) ग्राम—मोहगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.740 हेक्टर.

खसरा क्र.	अर्जित रकमा	वृक्ष मकान कुंआ
अशासकीय	(हेक्टर में)	तालाब अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)
437/1	0.130	2 पलाश, 1 महुआ, 1 साजा
437/2	0.000	1 बीजा, 2 पलाश, 1 कौक्का
436	0.100	1 साजा, 7 पलाश, 1 नीम, 1 महुआ.
429	0.130	5 पलाश, 1 महुआ, 1 जामुन
430	0.130	2 पलाश, 1 महुआ, 1 कौक्का
431	0.070	2 पलाश, 1 जामुन, 2 बेर
432/2	0.050	2 बेर, 2 पलाश
432/1	0.040	1 पलाश, 3 बेर
504/3	0.020	2 बेर, 1 नीम
433	0.040	1 पलाश, 1 जामुन, 1 कौक्का
434/2	0.010	2 पलाश, 1 आंवला
428	0.010	2 पलाश, 2 बेर
424	0.070	2 पलाश, 2 कसई, 3 बेर
423/1	0.150	4 पलाश, 3 बेर, 2 आंजन, 1 कसई.
43/1	0.010	1 पलाश, 1 बेर
423/2	0.000	2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई
423/3	0.000	3 पलाश, 3 बेर, 1 कसई
456/1	0.090	3 पलाश, 1 बेर
456/2		1 पलाश, 1 बेर
459/1	0.080	2 पलाश, 2 बेर
459/2		1 पलाश, 1 बेर
453	0.110	2 पलाश, 3 बेर

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
451	0.010	1 बेर	176/539	0.010	1 महुआ, 1 जामुन, 1 बेर
452/1	0.000	2 पलाश, 1 बेर	178	0.060	2 सांज, 2 कौव्हा
452/2	0.030	1 पलाश, 1 बेर	170	0.060	2 पलाश, 1 जामुन, 1 नीम
450	0.030	1 पलाश, 1 नीम	177/2	0.130	1 सांज, 2 कौव्हा, 2 बेर,
183	0.260	1 साजा, 2 पलाश, 2 नीम, 2 महुआ, 1 आम, 1 कौव्हा.	177/1	0.230	1 सांज, 1 आम, 5 पलाश, 2 महुआ, 1 नीम, 4 बेर.
449	0.080	3 बेर			
490/1	0.030	2 कसई, 1 आंजन, 1 कौव्हा	174	0.050	3 पलाश, 1 जामुन, 1 कौव्हा
490/2	0.050	1 आंजन, 2 कौव्हा	173/2	0.060	2 पलाश, 1 कौव्हा, 1 बेर
503/1	0.060	3 पलाश, 1 कौव्हा, 2 बेर	198	0.010	1 जामुन, 1 नीम
503/3	0.020	2 कसई, 1 आंजन	200	0.020	1 सांज, 1 कौव्हा, 1 बेर
503/2	0.030	1 कसई, 1 आंजन, 1 बेर, 2 पलाश.	204	0.010	1 पलाश, 1 बेर
			121/1	0.710	3 सांज, 6 पलाश, 2 महुआ, 1 नीम, 1 जामुन, 4 कौव्हा, 3 बेर, 1 आंवला.
503/4	0.080	2 कसई, 1 आंजन, 1 बेर, 2 पलाश			
504/5	0.030	1 नीम, 2 बेर	201	0.130	1 कौव्हा, 3 बेर, 1 आंजन
507/1	0.020	2 बेर	121/3	0.020	1 नीम, 1 जामुन, 2 कौव्हा
504/4	0.020	1 कसई, 2 पलाश	124/1	0.060	2 पलाश, 1 जामुन, 1 कौव्हा
505/1	0.020	1 कसई, 2 बेर, 1 पलाश	124/2	0.060	1 नीम, 1 जामुन, 3 बेर
505/2	0.020	1 बेर, 1 पलाश	205/1	0.010	2 कसई, 1 पलाश
506/1	0.010	2 बेर, 1 नीम	214	0.140	2 कसई, 2 कौव्हा, 3 बेर,
186	0.070	2 पलाश, 1 नीम, 1 महुआ			2 पलाश, 1 बीजा.
187/1,			205/2	0.060	1 कसई, 1 कौव्हा, 2 बेर,
187/2,	0.100	2 कसई, 3 आंजन			2 पलाश.
187/3			128	0.010	2 बेर
185/2	0.020	1 जामुन, 1 नीम	126	0.010	1 पलाश, 1 कौव्हा
185/1	0.020	2 पलाश, 2 महुआ	15/1	0.020	2 बेर
184/558	0.120	4 पलाश, 3 महुआ, 1 सांज. 1 आंवला, 1 कौव्हा.	125	0.030	1 जामुन, 1 कौव्हा
558/184	0.230	4 पलाश, 1 महुआ, 1 सांज, 1 आम.	15/2	0.010	3 पलाश
			14	0.080	1 कसई, 2 आंजन, 1 नीम
184/1	0.050	4 पलाश, 1 महुआ, 1 सांज	16/2	0.010	
180	0.060	2 पलाश, 2 महुआ, 1 सांज. 4 कौव्हा 1 जामुन.	17	0.030	
			32	0.080	1 कसई, 4 बेर
172	0.080	2 आम, 4 पलाश, 2 महुआ, 5 बीजा.	31/1	0.070	1 आम, 1 जामुन, 4 कौव्हा
			31/5	0.010	1 कसई, 2 आंजन
179	0.050	4 पलाश, 1 महुआ, 1 सांज	29	0.180	1 कसई, 3 आंजन, 1 ईमली
171	0.100	4 पलाश, 1 कौव्हा, 3 बेर, 1 कसई.	27	0.120	2 कसई, 3 आंजन
			26	0.030	2 बेर

(1)	(2)	(3)	6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		
23/542	0.070	3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन, 1 जामुन.			अनुसूची
23	0.200	2 कसई, 3 आंजन, 2 जामुन, 2 आम, 3 पलाश.	(1) भूमि का वर्णन—		
117	0.250	2 कसई, 4 बेर, 1 पलाश	(क) जिला—सिवनी		
111/1	0.150	3 कसई, 2 आंजन, 1 आम, 2 बेर, 1 नीम.	(ख) तहसील—बरघाट		
439	0.050	2 कसई, 1 आम, 4 पलाश	(ग) ग्राम—कॉचना		
111/2	0.020	1 कसई, 1 आंजन, 2 बेर	(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.08 हेक्टेयर.		
43/2	0.000	2 बेर, 1 पलाश	खसरा क्र.	अर्जित रकमा	प्राप्त किये जाने वाले
48	0.100	1 कौव्हा, 2 कसई, 1 आंजन, 4 बेर.	अशासकीय	(हेक्टर में)	भू-खण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुंआ, तालाब एवं अन्य विवरण
425	0.010	4 कसई, 2 आंजन			
127	0.050	2 कौव्हा	(1)	(2)	(3)
50/1	0.080	2 आम, 2 बेर, 2 कौव्हा	510	0.010	2 पलाश, 1 कसई, 1 बेर
55/2	0.030	3 पलाश	509	0.130	4 पलाश, 2 कसई, 3 बेर
55/3	0.020	3 बेर, 1 कौव्हा	508	0.140	4 पलाश, 3 कसई, 2 बेर 1 जामुन.
56/2	0.030	2 बेर, 1 कौव्हा	504	0.010	4 पलाश, 2 कसई, 2 बेर 1 आम.
56/1	0.050	3 कसई, 1 आंजन, 1 बेर	503	0.110	2 महुआ, 1 आम, 4 पलाश, 2 कसई 2 बेर 1 नीम.
58	0.040	2 बेर, 3 पलाश, 1 आम	498/1	0.150	4 पलाश, 3 कसई, 4 बेर 2 आम 1 जामुन, 1 नीम.
61	0.030	2 कसई, 2 बेर, 1 जामुन	498/2	0.060	4 पलाश, 3 कसई, 2 बेर, 1 आम, 1 नीम.
60	0.050	2 बेर, 3 पलाश, 1 आम	498/3	0.040	7 पलाश, 4 कसई, 3 बेर, 1 आम, 1 महुआ, 1 बीजा.
504/2	0.010	2 बेर	498/6	0.030	3 पलाश, 2 कसई, 2 बेर 1 महुआ, 1 आम.
351	0.010	2 बेर	498/7	0.030	4 पलाश, 3 कसई, 2 बेर, 1 जामुन.
116/1	0.010	1 कसई, 1 आंजन, 1 बेर	482/1	0.420	3 आम, 4 कसई, 11 पलाश, 5 बेर, 4 आंजन, 3 कौआ, 2 मवई.
115	0.010	1 आंजन, 2 बेर	483	0.080	6 पलाश, 3 कसई, 3 बेर, 2 आंजन.
120	0.010	2 बेर, 1 आम			
<b>योग . . 6.740</b>					
(2) सार्वजनिक प्रयोजन कांचनामंडी जलाशय नहर कार्य निर्माण के लिये भूमि की आवश्यकता है.			498/6	0.030	3 पलाश, 2 कसई, 2 बेर 1 महुआ, 1 आम.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, सिवनी में किया जा सकता है.			498/7	0.030	4 पलाश, 3 कसई, 2 बेर, 1 जामुन.
क्र. 7771-जि.-भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा			482/1	0.420	3 आम, 4 कसई, 11 पलाश, 5 बेर, 4 आंजन, 3 कौआ, 2 मवई.
			483	0.080	6 पलाश, 3 कसई, 3 बेर, 2 आंजन.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
434	0.220	14 पलाश, 6 बेर, 4 कसई, 5 आंजन.	76	0.020	4 पलाश, 2 बेर, 3 कौआ
			77	0.300	6 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन, 3 कौआ.
432	0.010	3 पलाश, 1 कसई, 3 बेर	94	0.120	1 आम, 1 महुआ, 5 पलाश,
433	0.110	5 पलाश, 3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन.	103/1	0.030	1 आम, 1 महुआ, 4 बेर
69/1	0.040	5 पलाश, 5 बेर, 3 कसई, 1 आंजन.	95/1,	0.230	4 पलाश, 3 कौआ
			95/2		
435/2	0.020	3 पलाश, 1 कसई, 2 बेर, 1 आंजन.	96	0.010	1 नीमा, 2 पलाश, 1 कौआ
			100	0.070	1 आम, 4 बेर
165	0.010	2 पलाश, 2 बॉस, 2 आंजन	99	0.010	2 पलाश, 1 कौआ
92	0.010	1 आंजन, 3 पलाश, 2 बेर.	97	0.050	4 पलाश, 7 बेर, 2 कसई,
78	0.100	5 पलाश, 7 बेर, 2 कसई, 1 आंजन.	501/1	0.070	1 आंजन, 1 कौआ, 1 महुआ.
166/1,	0.010	2 पलाश, 3 बेर, 1 कसई,	501/2	0.100	2 कसई, 1 आंजन, 2 बेर,
166/2		1 आंजन.			1 पलाश.
91/1	0.150	2 आम, 2 जामुन, 1 नीम, 4 पलाश, 5 बेर, 2 आंजन, 1 कसई.	416	0.010	1 जामुन, 3 कसई, 2 आंजन,
					1 कसई, 3 बेर, 2 पलाश.
63	0.170	3 पलाश, 2 बेर, 2 आंजन, 1 कौआ.	502	0.010	3 पलाश, 2 कासई, 1 आंजन,
			515/1	0.100	2 बेर.
91/2	0.140	4 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन, 1 कौआ.	515/2	0.010	1 कसई, 2 बेर, 1 पलाश
			582/2		3 पलाश, 3 बेर, 2 कौआ
62/2	0.090	2 जामुन, 1 नीम, 4 पलाश, 4 बेर, 1 कसई, 1 आंजन.	516/3,	0.060	2 कसई, 1 आंजन, 2 बेर
			516/4,		
			516/2		
309/2	0.070	8 पलाश, 6 बेर, 2 कसई, 3 आंजन, 2 बांस.	517/1	0.050	3 पलाश, 1 आम
			517/2	0.040	3 पलाश, 1 जामुन, 3 कौआ
64	0.020	3 पलाश, 6 बेर, 3 कसई, 2 आंजन.	518	0.020	3 पलाश, 1 कासई, 1 आंजन,
					1 कौआ.
68	0.050	4 पलाश, 3 बेर, 2 कसई	519/1	0.070	5 पलाश, 1 कसई, 1 आंजन,
70	0.040	3 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन, 1 कौआ.	520	0.090	2 कौआ.
			531	0.030	7 पलाश, 2 आंजन, 3 कौआ
71/1	0.020	1 कसई, 1 बेर, 2 पलाश	529	0.010	2 बेर, 1 आंजन, 1 कसई
71/2	0.020	2 बेर, 2 पलाश, 1 कसई	528	0.070	1 कसई, 1 कौआ
72	0.010	1 कसई, 2 बेर, 1 पलाश	399/4, 399/5	0.020	3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन,
73	0.010	2 पलाश, 3 बेर, 1 कसई			1 कौआ.
74	0.280	2 आम, 1 महुआ, 5 पलाश, 4 बेर, 1 कसई, 2 आंजन, 1 जामुन.	578/1	0.020	2 बेर, 1 कसई, 1 आंजन,
			582/1	0.110	1 कौआ.
75	0.100	5 पलाश, 3 बेर, 1 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ.	582/2		2 पलाश, 2 बेर, 2 कौआ

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
581	0.020	1 आंजन, 2 कौआ	3	0.040	1 आम, 1 नीम, 1 कौआ
584	0.030	2 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन	10	0.020	1 कसई, 1 आंजन, 1 नीम
585/1	0.010	1 बेर, 1 पलाश	9/1	0.010	1 बेर, 1 कसई, 1 कौआ
585/2	0.010	2 पलाश, 1 बेर	9/3, 9/2	0.010	2 बेर, 1 कसई, 1 कौआ
585/3			8/1	0.020	3 पलाश, 1 बेर, 1 कसई,
585/4					1 कौआ.
586	0.020	2 बेर, 1 कसई, 1 आंजन	19	0.040	5 पलाश, 2 बेर, 1 कसई,
588/1, 588/2	0.050	2 बेर, 1 कसई			1 कौआ, 1 जामुन.
588/3	0.040	1 बेर, 1 कसई, 1 आंजन,	6/1	0.010	2 पलाश, 2 बेर, 1 कौआ
		1 जामुन.	6/5	0.010	1 कसई, 1 आंजन
386/1	0.010	1 आंजन, 1 कौआ, 1 जामुन	4	0.050	3 पलाश, 4 बेर, 1 आंजन,
385	0.020	1 कसई, 1 आंजन, 1 कौआ			1 कौआ.
384	0.020	1 कसई, 1 आंजन, 2 कौआ	89	0.010	1 पलाश, 1 कसई
383	0.030	4 पलाश, 2 बेर, 1 कसई	498/4	0.020	3 पलाश, 2 कसई, 1 आंजन,
388/1	0.070	5 पलाश, 2 कौआ, 1 जामुन			1 कौआ.
388/2	0.010	1 कसई, 1 बेर	498/5	0.150	5 पलाश, 4 बेर, 3 कसई,
363/1	0.010	1 कसई, 1 आंजन			3 कौआ.
363/2	0.010	1 कसई, 1 आंजन, 1 बेर	386/2	0.030	6 पलाश, 4 बेर, 2 कसई,
361/1	0.070	4 पलाश, 1 बेर, 1 कसई,			2 कौआ, 1 आंजन.
		1 आंजन.		योग . .	6.080
309/1	0.050	2 नीम, 2 आंजन			
361/4	0.010	1 कसई, 1 आंजन			
361/5	0.010	2 बेर, 1 कसई			
360	0.010	1 कसई, 1 बेर, 1 आंजन			
361/2	0.040	4 पलाश, 1 बेर, 1 कसई,			
		1 आंजन.			
309/6, 309/3	0.010	2 पलाश, 1 बेर, 1 कसई			
351/1	0.070	4 बेर, 1 कसई, 2 कौआ,			
		3 पलाश.			
351/2	0.040	3 पलाश, 2 कौआ			
351/3	0.110	5 पलाश, 4 बेर, 2 आम			
326/2	0.030	2 पलाश, 3 बेर, 1 कसई			
326/1	0.040	1 आम, 1 नीम, 3 पलाश			
327	0.130	1 कुआं, 1 आम, 1 कसई,			
		1 आंजन, 1 कौआ.			
328	0.010	2 पलाश, 1 कौआ			
2/1	0.020	4 पलाश, 2 बेर, 3 कौआ			
5	0.010	1 आंजन, 1 कौआ			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—कांचना मंडी जलाशय डूब क्षेत्र।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 7771-भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—बरधाट

(ग) ग्राम—साल्हे कलां	(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.04 हेक्टर.	402	0.020	2 पलाश, 1 बेर, 1 कसई
खसरा क्र. अर्जित रकबा प्राप्त किये जाने वाले भू-खण्ड में स्थित वृक्ष, मकान, कुआ, तालाब एवं अन्य विवरण	401	0.040	2 पलाश, 1 कसई, 3 बेर, 1 जामुन.
अशासकीय (हेक्टर में)	375/2	0.100	3 पलाश, 4 बेर, 3 आंजन, 1 जामुन.
(1)	(2)	(3)	
14	0.050	2 बबूल, 2 पलाश, 1 नीम 1 बेर, 2 इमली.	633/1 0.040 2 पलाश, 1 बेर
15/1	0.110	2 पलाश, 2 बेर	633/2 0.070 1 पलाश, 1 बेर
15/2	0.100	2 पलाश, 3 बेर	622 0.010 1 आम, 2 पलाश, 1 बेर
16	0.040	1 पलाश, 1 बेर	621 0.020 1 आम, 1 पलाश, 2 बेर
79	0.060	4 पलाश, 4 बेर, 1 कसई, 1 आंजन.	623 0.170 1 आम, 1 जामुन, 1 बबूल, 1 पलाश, 1 बेर.
25	0.280	1 पलाश, 3 बेर	625 0.010 1 पलाश, 1 बेर
89	0.080	3 पलाश, 4 बेर, 1 आंजन, 2 कसई.	377 0.320 1 आम, 3 पलाश, 3 बेर, 2 आंजन, 1 कीन्ही.
13	0.010	3 पलाश, 2 बेर, 1 कसई	70 0.100 1 पलाश, 3 बेर
778	0.020	2 पलाश, 3 बेर	71 0.010 1 बेर, 1 पलाश
533	0.050	1 महुआ, 1 सेमर, 2 पलाश, 3 बेर.	74 0.010 1 पलाश, 1 बेर
527	0.140	3 पलाश, 4 बबूल	75/1 0.030 2 पलाश, 1 बेर, 1 आम
488	0.150	1 पलाश, 6 बेर, 3 बबूल	75/2 0.060 2 पलाश, 3 बेर, 2 आंजन
768	0.040	1 पलाश, 2 बेर	773/2, 773/4 0.020 2 पलाश, 2 बेर
528	0.200	2 पलाश, 4 बेर, 1 कसई, 3 बबूल.	772 0.050 2 पलाश, 2 बेर, 1 आंजन
530	0.030	1 पलाश 3 बेर, 1 आंजन	771 0.090 3 बेर, 1 बबूल, 2 कसई, 2 पलाश, 1 आंजन.
495/1	0.070	2 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन	764 0.130 2 पलाश, 4 पलाश, 2 बेर, 1 कसई, 4 पलाश, 2 बेर,
495/2	0.030	1 पलाश, 1 बेर	77/2 0.210 1 कसई, 4 पलाश, 5 बेर, 1 कसई, 1 आंजन.
489	0.130	3 पलाश, 4 बेर, 3 बबूल, 1 कसई.	77/3 0.080 1 कसई, 4 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन, 2 बबूल.
492	0.180	2 पलाश, 1 बबूल, 4 बेर	94/1 0.020 1 कौआ, 1 बबूल, 1 पलाश
498	0.030	2 बबूल, 3 बेर, 1 आंजन, 1 कसई.	93 0.080 1 पलाश, 1 बेर
494	0.070	2 पलाश, 2 बेर, 1 बबूल, 1 कसई.	73/2 0.020 2 पलाश, 1 बेर
497	0.010	2 पलाश, 2 बेर, 1 कसई	407/1 0.010 1 पलाश, 2 बेर
410/1	0.010	1 बबूल, 1 बेर, 1 कसई	407/2 0.010 1 पलाश, 1 बेर
410/2	0.080	1 पलाश, 3 बेर, 1 बबूल	407/3 0.010 1 पलाश, 2 बेर
410/3		1 पलाश, 1 आंजन, 3 बेर	योग . . 4.040
409	0.010	1 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—काचना मंडी जलाशय ढूब क्षेत्र.
408/2	0.090	2 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन, 1 कसई.	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है।
408/1	0.080	2 पलाश, 3 बेर, 1 आंजन	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
631	0.130	2 आम, 1 महुआ, 1 पलाश 1 बबूल, 1 बेर.	भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
403	0.130	2 पलाश, 4 बेर, 1 आंजन, 1 कसई,	